आई-10/11/2024-डब्ल्यूएंडएम (ई–35106)

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

बाट तथा माप अनुभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 05.06.2026

सेवा में,

विधिक मापविज्ञान नियंत्रक,

सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

विषय: विधिक मापविज्ञान ढांचे के अंतर्गत खाद्य तेलों और वसा की शुद्ध मात्रा और मानक पैक आकारों के निर्धारण के लिए दिनांक 29.12.2023 की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन के संबंध में परामर्शी।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विभाग ने, खाद्य तेलों में पैकेज की विभिन्न मात्राओं के प्रसार के संबंध में हितधारकों और उद्योग संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों और सुझावों की जांच करने के बाद, और उपभोक्ता स्पष्टता, पारदर्शिता और मूल्य तुलना में सुगमता को बढ़ावा देने की दृष्टि से दिनांक 29.12.2023 की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत मार्गदर्शन और सुचारू कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित परामर्शी जारी की है।

2. निम्नलिखित प्रावधानों को उक्त एसओपी के पैरा 5 के बाद जोड़े गए हिस्से के तौर पर पढ़ा जाए:

"6. खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार:

(i) प्रमुख खाद्य तेलों जैसे कि पाम ऑयल या पामोलीन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों/रेपसीड तेल, मूंगफली तेल, तिल का तेल, राइस ब्रान तेल, बिनौला तेल, मक्का तेल और उनके मिश्रणों के लिए, पैक के निम्नलिखित मानक आकारों की सिफारिश की जाती है:

क्र. सं.	**पैकेज का आकार**	**प्रयोज्यता**
(क)	200 ग्राम या 200 मिलीलीटर से कम	कोई प्रतिबंध नहीं
(ख)	200 ग्रा, 500 ग्रा, 1 कि.ग्रा., 2 कि.ग्रा., 3 कि.ग्रा., 4 कि.ग्रा., 5 कि.ग्रा., 15 कि.ग्रा., 20 कि.ग्रा. यदि शुद्ध मात्रा आयतन के अनुसार घोषित की जाती है, तो 200 मिली, 500 मिली, 1 ली., 2 ली., 3 ली., 4 ली., 5 ली., 15 ली., 20 ली. और शुद्ध मात्रा को उसी आकार के अक्षरों/अंकों में वजन के अनुसार भी घोषित किया जाना चाहिए।	मानक पैकेजिंग लागू

(ii) उप-धारा (i) में निर्दिष्ट तेलों के अलावा, अन्य छोटे खाद्य तेल मानक पैक आकार की आवश्यकता से मुक्त रहेंगे। हालांकि, ऐसे पैकेज, जिनमें ऊपर उल्लिखित पैकेज भी शामिल हैं, विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के तहत इकाई विक्रय मूल्य (यूएसपी) की घोषणा से संबंधित लागू प्रावधानों का अनुपालन करना जारी रखेंगे।

(iii) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 और दिनांक 29.12.2023 की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के प्रावधानों के अनुसार, जहां भी खाद्य तेलों की मात्रा आयतन (लीटर या मिलीलीटर) में घोषित की जाती है, पैकेज पर उक्त नियमों की चौथी अनुसूची के लागू प्रावधानों के तहत निर्धारित वजन (किग्रा या ग्राम) के बराबर मात्रा की घोषणा भी होनी चाहिए।

(iv) उपरोक्त प्रावधान घरेलू स्तर पर निर्मित और आयातित खाद्य तेलों, दोनों पर समान रूप से लागू होंगे।

(v) ऐसे पैकेजों के लिए शुद्ध मात्रा का निर्धारण, नमूनाकरण, परीक्षण और त्रुटि मूल्यांकन इस मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा।

(vi) विनिर्माता, पैककर्ता और आयातक निर्धारित पैक आकारों को तुरंत अपना सकते हैं। हालांकि, उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए इस संशोधन के जारी होने की तारीख से तीन महीने का समय दिया जाएगा।"

संलग्नक: दिनांक 29.12.2023 की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

भवदीय,

(आशुतोष अग्रवाल)
निदेशक (विधिक मापविज्ञान)
दूरभाष: 011-23389489
ई-मेल: dirwm-ca@nic.in

प्रतिलिपि: सभी हितधारक

(**टिप्पणी**: अंग्रेज़ी और हिंदी संस्करणों में किसी भी तरह का अंतर होने पर, अंग्रेज़ी संस्करण ही मान्य होगा।)